न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

निर्णय दिनांक :–31.03.2021

प्रकरण संख्या / अभ्यावेदन / 20 / 2021

आदेश

प्रार्थी श्री शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम, निवासी इस्माइलपुर (पिचानवै), तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1013/2021 उनवानी श्री शेरसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 की पालना करवाने बाबत दिनांक 08.02.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम इस्माइलपुर (पिचानवै) पटवार हल्का लाखू, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू के भूमि खसरा नम्बर 130 पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण हो हटवाने बाबत प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन तहसीलदार सूरजगढ के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

In view of the above order, the petitioner is directed to approach Respondent No. 2 by filing a detailed representation along with copy of this order and the grievances of the petitioner shall be examined by Respondent No. 2 and needful be done within a period of three months from the date of filing of the representation.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 01.02.2021 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार सूरजगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थी को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/125 दिनांक 15.03.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम इस्माइलपुर (पिचानवा) तहसील सूरजगढ स्थित विवादित भूमि ख0न0 130 रकबा 17.55 है0 किस्म गै0मु0 जोहड भूमि राजस्व रिकार्ड मे चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु खाता 134 मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0न0 पर कुल 41 अतिक्रमण है जिसमे अनु0 जन जाति का 1 परिवार है एवं 1 सरकारी आंगनबाडी भवन है तथा 39 परिवार अन्य पिछडा वर्ग के है जिनका आवासीय एवं गैर आवासीय अतिक्रमण मौके पर है। उक्त ख0न0 130 ग्राम इस्माइलपुर की आबादी भूमि से सटा हुआ है।

प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने अभ्यावेदन में वर्णित तथा तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि ग्राम इस्माइलपुर (पिचानवा) स्थित विवादित भूमि ख0न0 130 रकबा 17.55 है0 किस्म गै0मु0 जोहड भूमि राजस्व रिकार्ड मे चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु खाता 134 मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0न0 पर कुल 41 अतिक्रमण है जिसमे अनु0 जन जाति का 1 परिवार है [illegible] आंगनबाडी भवन है तथा 39 परिवार अन्य पिछडा वर्ग के है [illegible] एवं [illegible] र आवासीय अतिक्रमण मौके पर है। अभ्यावेदन मे वर्णित सांवरमल [illegible] है0 भूमि पर अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतिक्रमण है। राजकीय अभिभाषक ने राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस वकील अप्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया। चूंकि ग्राम इस्माईलपुर (पिचानवे) पटवार हल्का लाखू, तहसील सूरजगढ स्थित भूमि ख0न0 130 रकबा 17.55 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर किया गया अतिक्रमण अवैध है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतः आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि के मौके से तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट पत्रांक 125 दिनांक 15.03.2021 के अनुसार सरकारी आंगनबाडी केन्द्र को छोडकर शेष 40 अतिक्रतियों को तत्काल भौतिक रूप से बेदखल किया जावे। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ इस हेतु चाहे जाने पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड अदालत मातहत के तहसीलदार सूरजगढ एवं उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(यू0डी0खान) 31/03/21

जिला कलक्टर,झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:52 IST
Reason: SelfAttested